रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 मई, 1978/30 वैशाख 1900

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला, 9 मई, 1978

नं० एफ़० डी० एस० एफ़० (4) 1/75.—अधिसूचना सा० का०नि० 408 धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 जो कि भारत सरकार के राजपत्र, भाग–2, खण्ड –3, उप-खण्ड (1), दिनांक 16 मार्च, 1978, द्वारा प्रकाशित किया गया है को सामान्य जनता की सूचना हेतु दोबारा प्रकाशित किया जाता है।

सुरेन्द्र मोहन कंवर,
सचिव।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1978

सा0 का0 नि0 408.—धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 22 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1), तारीख 17 दिसम्बर, 1977 के पृष्ठ 3428 से 3429 पर, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि 1696, तारीख 12 दिसम्बर, 1977 के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिस तारीख को उक्त राजपत्र जनता को उपलब्ध कर दिया जाता है, पैंतालिस दिनों की अवधि के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और वे उक्त राजपत्र जनता को 17 दिसम्बर, 1977 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1978 है ।

   (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में अनुसूची में, प्ररूप 4 में पैरा 3 में, शर्त (3 घ) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

   "परन्तु 30 अप्रैल, 1975 के पूर्व अनुज्ञप्त किसी चावल मिल की दशा में, अनुज्ञापन अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उक्त अवधि को, पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष तक और बढ़ा सकता है ।"

के0 बालकृष्णन,
उप सचिव, भारत सरकार ।

उप-नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।